का अभाव है, लेकिन सभी स्थानों पर जल की सुनिश्चितता बढ़े, इस दृष्टि से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों मिलकर चिंता भी कर रही हैं और पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो सके, इस दृष्टि से आने वाले कल में जो आवश्यकता होगी, उसके संबंध में भारत सरकार प्रयास करेगी।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Particularly, in the hilly States, you need special attention where there are problems of general rural habitations and lack of water connectivity. This is the real problem there.

MR. CHAIRMAN: Let him answer.

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, सामान्यतः जब भी ग्रामीण विकास के इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की गयी है, चाहे वह पेयजल हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे आवासीय क्षेत्र के कार्यक्रम हैं, इन सबके लिए राशि के आवंटन की दृष्टि से भी इस बात की चिंता की गयी है कि hilly क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे कि मैदानी इलाकों में सब जगह 60:40 का रेश्यो आता है, लेकिन hilly क्षेत्र और विशेष क्षेत्रों में हम लोग 90:10 के रेश्यो में काम करते हैं। यह इस बात का प्रकटीकरण है कि hilly क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रत्येक गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ना

*3. **श्री राम नाथ ठाकुरः** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हर गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ने का संकल्प लिया था;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऐसी कितनी सड़कें गत चार वर्षों से निर्माणाधीन हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी सभी सड़कों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी और क्या निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी सड़कों का निर्माण न कर पाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी मैदानी क्षेत्रों में जनगणना 2001 के अनुसार 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और पारगामी निकासी (क्रास-ड्रेनेज) ढांचों, जो साल भर काम करने के लायक हो, के साथ), के जरिए एकल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखंड) मरूभूमि

क्षेत्रों (जैसा कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित है) और जनजातीय क्षेत्रों (अनुसूची-V) तथा चुनिंदा जनजाति एवं पिछड़े जिलों (जैसा कि गृह मंत्रालय तथा तत्कालीन योजना आयोग द्वारा पहचान की गई है) में इस योजना का उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली (जनगणना, 2001 के अनुसार) संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना है। गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित सर्वाधिक गहन एलडब्ल्यूई ब्लॉकों के लिए 100 और उससे अधिक की आबादी वाली (जनगणना, 2001 के अनुसार) सड़क संपर्कविहीन बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं।

इस कार्यक्रम के लिए इकाई राजस्व गांव अथवा पंचायत न होकर एक बसावट है। किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के समूह, जो लंबे समय तक स्थान नहीं बदलते हैं, को बसावट कहते हैं। देशम, ढाणी, टोला, माजरा, हेमलेट आदि बसावटों की व्याख्या के लिए सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। बिहार में 35496 पात्र बसावटों में से मंत्रालय ने अब तक 27184 बसावटों को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई, 2016 तक 15947 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है। शेष बसावटों में कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है।

पिछले चार वर्षों में मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए 6301 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 2942 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 6917.517 किमी. लंबाई के 3359 सड़क कार्यों का निर्माण कार्य चल रहा है।

राज्य सरकार ने 2495 लंबित पीएमजीएसवाई सड़क योजना के ठेकेदारों पर किसी भी नई निविदा में भाग लेने से रोक लगा दी है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अब तक 209 ठेकों को रद्द कर दिया है।

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों को पूरा करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 12 कैलेंडर माह तथा पर्वतीय सड़कों (चरण 1) और विशेष/एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18 कैलेंडर माह की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, 25 मीटर से अधिक लंबाई के क्रॉस ड्रेनेज कार्यों को पूरा करने के लिए 18-24 माह की समयसीमा दी गई है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क कार्यों की निविदा देने, कार्य सौंपने तथा इन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

Connecting every village under PMGSY

†*3. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had resolved to connect every village under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY);

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of such roads under PMGSY in Bihar which are under construction for the last four years but their construction is yet to be completed; and

† Original notice of the question was received in Hindi.

(d) whether any time-limit had been fixed under PMGSY for construction of all such roads and whether any disciplinary action has been taken against those contractors who failed to construct such roads within the stipulated time period and if so, the details of action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAM KRIPAL YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The primary objective of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is to provide single Connectivity, by way of an All-weather Road (with necessary culverts and cross-drainage structures, which is operable throughout the year), to the eligible unconnected Habitations in the rural areas with a population of 500 persons and above as per Census 2001 in Plain areas. In respect of Special Category States (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand), the Desert Areas (as identified in the Desert Development Programme), the Tribal areas (Schedule V) and Selected Tribal and Backward Districts (as identified by the Ministry of Home Affairs and the erstwhile Planning Commission) the objective is to connect eligible unconnected Habitations with a population of 250 persons and above (Census 2001). For Most intensive LWE blocks as identified by Ministry of Home Affairs, the unconnected habitations with population 100 and above (as per 2001 Census) are eligible to be covered under PMGSY.

The unit for this Programme is a Habitation and not a Revenue village or a Panchayat. A Habitation is a cluster of population, living in an area, the location of which does not change over time. Desam, Dhanis, Tolas, Majras, Hamlets, etc., are commonly used terminology to describe the Habitations. In Bihar out of 35496 eligible habitations, 27184 number of habitation have been cleared/sanctioned by the Ministry so far and 15947 number of habitation has been connected by all-weather roads, upto May, 2016 as reported by the State Government. The remaining are in the various stages of progress.

In the last four years 6301 road works were sanctioned for Bihar by the Ministry of which 2942 road works have been completed and 3359 road works measuring 6917.517 kms. are under construction and are yet to be completed.

Contractors of 2495 pending PMGSY road works have been debarred for participating in any fresh tender and 209 contracts have been terminated by the State Government so far under PMGSY.

As per the programme guidelines, a period of twelve calendar months has been specified for completion of road works in plain areas and eighteen calendar months for hill roads (Stage-I) and roads in special/LWE areas. Similarly, time period of 18-24 months is allowed for completion of cross drainage works exceeding 25 mt. in length. The States are responsible for tendering, awarding and executing the road works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, सरकार द्वारा दिए गए जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। कृपया प्रश्न को देखा जाए कि क्या हर गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ने का संकल्प लिया था, लेकिन यह जवाब में कहीं नहीं है।

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, वैसे तो पूरे तौर पर बिहार के संदर्भ में जवाब दे दिया गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब यह योजना बनी, तो इस योजना के बनने के बाद बिहार में 35,496 जो पात्र बसावट है, उसमें से सरकार ने 27,184 बसावट को सड़क की स्वीकृति दे दी है। इसमें से 15,947 बसावट की सड़कों का निर्माण करवाया गया है और पात्र बसावट के 44.9 प्रतिशत को बारहमासी सड़क से जोड़ने के संबंध में जो कार्यवाही करनी थी, उसे करने का काम किया गया। बिहार में अभी भी लगभग 55.1 प्रतिशत जो बसावट है, वह सड़क से नहीं जुड़ पायी है। इसमें कई तरह के तकनीकी विलम्ब के कारण राज्य सरकार ने सन् 2007 में यह निर्णय लिया — पहले सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा था — कि राज्य सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से सड़कों का निर्माण कराएगी और उसके लिए उन्होंने कारगर कदम उठाए। इसके लिए लगभग 107 कार्य परिमंडलों की स्थापना की गयी और वही आज भी कार्यरत हैं। मैं समझता हूं कि जो वहां का रोड कंस्ट्रशन डिपार्टमेंट है, उसने जो सड़कों का निर्माण करवाया, वह 22,860.75 किलोमीटर है और केंद्र की एजेंसी ने 14,953.47 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया है। पिछले चार वर्षों में 6,301 रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गयी थी, जिसमें से 2,942 रोड प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं और अभी तक 6,917.517 किलोमीटर लम्बाई के 3,359 रोड प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं। सर, 3359 रोड प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े होने के कई कारण हैं। वहां पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आयी हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो समय-सीमा थी, उस समय-सीमा के अंतर्गत काम पूरा नहीं हो सका। वहां की सरकार काम कर रही है, मगर काम में जो अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए थी, उतनी प्रगति नहीं होने की वजह से जो टारगेट था, वह टारगेट पूरा नहीं हो पाया है।

श्री सभापतिः दूसरा प्रश्न।

श्री राम कृपाल यादवः राज्य सरकार को इसके लिए राशि अनवरत जारी की गई है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के स्तर पर...

MR. CHAIRMAN: Second supplementary now, please.

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, हमने मांगा कुछ और इन्होंने जवाब दिया कुछ। मैं माननीय मंत्री जी से साधारण रूप में यह जानना चाहता हूं कि बची हुए सड़कों का निर्माण कितने दिनों के अंदर कर देंगे और सदन को कब तक सूचित कर देंगे?

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, भारत की सरकार ने निर्णय लिया है कि न सिर्फ बिहार की बल्कि हिन्दुस्तान की जितनी भी सड़कें हैं, पहले 2001 की जनगणना के आधार पर जिन सड़कों की सूची ली गई है और जो निर्णय है, उसके अनुसार 2019 तक हमने सभी सड़कों का निर्माण करने का मन बनाया है और उसके लिए धनराशि आवंटित करने का काम कर रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने हर एक गांव को पीएमजीएसवाई के साथ जोड़ने का एक निर्णय लिया है। लेकिन आदिवासी इलाकों में विलेज पांच-पांच किलोमीटर, तीन-तीन किलोमीटर के अंदर, अलग-अलग hamlets के अंदर होते हैं। इस वजह से किसी hamlet में 200 से कम की बस्ती है, तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूं तो माननीय मंत्री जी मुझे करेक्ट करें, वहां पर उनको जोड़ा नहीं जाता है। यहां पर पर्यावरण मंत्री जी भी उपस्थित हैं, मैं उनको मंत्री बनने पर बधाई देता हूं, लेकिन आप उनके साथ तालमेल करके जहां पर फॉरेस्ट विलेजेज हैं, जहां पर सड़क जाती है, लेकिन वह गांवों तक नहीं पहुंचती है, क्या आपने अभी तक उन गांवों को सड़कों से जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? सभी ट्रायबल एरियाज़ में पूरे देश के अंदर यह सवाल है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन रिमोट इलाकों को रोड से जोड़ने के लिए क्या एक्शन लिया है?

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि 2001 की जनगणना के आधार पर पूरे हिन्दुस्तान की सड़कों का खाका मेरे पास है, चाहे वह आदिवासी इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो या समतल इलाका हो। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ भी कठिनाई होगी, उसको दूर करते हुए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि 2019 तक सारी सड़कों का निर्माण हम करायेंगे और पूरे तौर पर करायेंगे।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am sorry, Sir, this is not the reply. You will have to be strict on that. The Minister can't wish that whatever he wanted to say he would say. I wanted to know from the hon. Minister as to how many of these hamlets have been connected with roads.

MR. CHAIRMAN: He has given a completion date. Hasn't he?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, that is not the completion date. Sir, my question was, all hamlets which have less than 200 population are not connected with the PMGSY. These are the people who need roads the most. The Ministry of Environment and Forest has a problem in giving permission for construction of roads in forest villages. What is his Ministry doing in this regard? I wanted to know it from the hon. Minister.

श्री सभापतिः क्या आप इसका जवाब देंगे?

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूं कि माननीय मिस्त्री साहब उससे संतुष्ट नहीं होंगे। सामान्यतः यह बात चलती है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से हर गांव को जोड़ा जाए। जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना की गई, तो उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए। उस समय जब शुरूआती

दौर था, तो पहले चरण में यह सोचा गया कि जो 1000 प्लस के गांव हैं, उनको पूरा किया जाए, फिर 500 प्लस के जो गांव हैं, उनको पूरा किया जाए और जो ट्रायबल क्षेत्र है, उसमें जो 250 प्लस के गांव हैं, उनको पूरा करेंगे। ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही विशेष क्षेत्र हैं और ऐसे कुछ ब्लॉक्स भी हैं, जिनको गृह मंत्रालय ने भी कनेक्टिविटी देने के लिए आग्रह किया है, जो एकदम दुर्गम माने जाते हैं तथा खतरनाक माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अगर 100 की आबादी है, तो उस 100 की आबादी को भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, तो मुख्य रूप से यह मानदंड है। इस मानदंड के अंतर्गत जो भी गांव आता है, ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम का सवाल नहीं है, अगर वह छोटा भी है, लेकिन इन मानदंडों के अंतर्गत आता है, उसे कवर किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इन मानदंडों का पालन किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Now, let me go to the next supplementary. Shri Prem Chand Gupta.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान् जी, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना introduce की गई थी, उसके पीछे एक सोच थी और यह सोच थी कि The primary objective of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is to provide single connectivity by way of an all-weather road to all habitations where 500 plus people are living there.

श्रीमान् जी, बिहार में 35,496 हेबिटेशन्स में इस योजना को लागू करने का फैसला किया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले चार सालों में इन्होंने 6,301 योजनाएं पास कीं, अभी यहां पर ये प्रोजेक्ट्स इम्पलिमेंट करने हैं, जिनमें से ये बोलते हैं कि 2,242 प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट हुए और इन्होंने 2,945 प्रोजेक्ट्स कैंसल किए। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर 700-800 गांवों की ही कनेक्टिविटी हर साल होनी है, तो क्या फिर आप 30 सालों में पूरा करेंगे? आप तो बिहार से आते हैं और आप जानते हैं कि बच्चों को नदी, नाले और पहाड़ों पर से पैदल पार कर स्कूलों में जाना पड़ता है तथा गांव के बाजार तक भी जाना पड़ता है, इसलिए विशेष कृपा करके बिहार के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः आप बिहार के लिए कोई विशेष योजना पास करें और यहां जो 35,496 गांव हैं, जिसमें आपने सिर्फ 15,000 गांवों में किए हैं और वे भी कम्प्लीट नहीं हैं, तो इसको आप कितने सालों में पूरा करेंगे, आप इसका कमिटमेंट दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री राम कृपाल यादवः सर, जैसा कि मैंने कहा है कि 2007 के बाद में राज्य सरकार ने इस दायित्व को अपने ऊपर लिया है और वहां की एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई शुरू हुई। सर, इसके लिए राशि की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूं कि अगर कोई अन्यथा न ले, तो हमसे पहली सरकार, UPA-1 ने बीच के दिनों में इस काम को प्रारंभ किया था। वैसे तो यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय से प्रारंभ किया गया था। बीच के दिनों में हमसे पहली सरकार ने इसकी राशि बिल्कुल ही कम कर दी, जिसकी वजह से जो समस्या है, जो टारगेट फिक्स किया गया था ...(**व्यवधान**)... उस टारगेट के मुताबिक राशि नहीं दी गई। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः इनकी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट।

श्री राम कृपाल यादवः पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः UPA-1 ...(**व्यवधान**)... सर, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना UPA-1 के समय शुरू हुई थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप पहले मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

श्री राम कृपाल यादवः सर, इनको पता नहीं है, ये करेक्ट कर लें कि NDA की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना की और उनके समय से यह प्रारम्भ हुई थी। बाद के दिनों में जब राज्यों की सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चाहे बिहार हो या देश के अन्य राज्य हों, सभी के लिए इसकी राशि कम कर दी गई थी। हमने इस राशि को बढ़ाया है।

श्री सभापतिः आपसे वे जो पूछ रहे हैं, आप वह बता दीजिए।

श्री राम कृपाल यादवः मैं तो बता रहा हूं। ये पूछ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ? हमारा यही जवाब है कि जो धनराशि पहले स्वीकृत हुई थी, उतनी धनराशि नहीं मिल रही थी। वहां की राज्य सरकार ने ठीक ढंग से काम न करने का काम किया। अपनी एजेंसी को कारगर ढंग से काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से रोड की जो प्रोग्रेस थी, वह कम है। मैंने पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर आंकड़ा प्रस्तुत किया है। सबसे कम प्रोग्रेस बिहार में है, ऐसा क्यों है? वहां की राज्य सरकार अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम जिस रफ्तार से होना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री राम कृपाल यादवः सर, इस बार भारत सरकार ने बिहार राज्य को सबसे अधिक पैसा दिया है।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Let me get on to the next supplementary.

श्री राम कृपाल यादवः लगभग तीन हजार करोड़ रुपया दिया है और राज्य सरकार को पांच हजार करोड़ रुपया उपलब्ध है। सर, इसके बावजूद भी राशि बची हुई है। पैसा खर्च नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Let us take up the next supplementary, please.

श्री राम कृपाल यादवः हम सहयोग करने को तैयार हैं और राज्य सरकार को चाहिए कि वह पूरी क्षमता के साथ काम करे। हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे।

डा. नरेंद्र जाधवः धन्यवाद, सभापति महोदय। PMGSY एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसका allocation जिस तरह कम होता जा रहा था, उसे पिछले तीन वर्षों में बढ़ाया गया है, लेकिन allocation बढ़ाने के बावजूद उस पर पूरी तरह से खर्च नहीं हो

रहा है। महोदय, एक बड़ी समस्या यह है कि maintenance के लिए अभी कोई provision नहीं किया गया है और जून, 2016 के एक सर्वे में यह बताया गया है कि 8 राज्यों के सर्वेक्षण से यह पता चला कि केवल 3 राज्यों में maintenance के लिए provision किया गया है और आज तक जो 4,77,842 किलोमीटर्स लम्बाई के रास्ते बने हैं, उनमें से 70 प्रतिशत रास्ते maintenance के लिए अगले वर्ष से due हो रहे हैं। इस का मतलब यह है कि 7000 करोड़ रुपए का provision सिर्फ maintenance के लिए करना पड़ेगा। इसलिए इस कार्य का provision बढ़ाना और उसका पूरी तरह से implementation करना निहायत ही जरूरी है।

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वह अपने स्थान पर उचित ही है। जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में की गयी थी, उस समय इन सारी चीजों पर काफी दूरगामी ढंग से विचार किया गया था। महोदय, मुझे ध्यान है कि उस दौरान भी मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला और उसी समय इस योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, इस की गुणवत्ता ठीक प्रकार की हो, इसका monitoring system ठीक प्रकार का हो और इसके परिणाम ठीक प्रकार से जनहित में आएं, इस बात की चिंता केंद्र सरकार को थी।

श्री सभापतिः उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए क्योंकि समय कम है।

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः सर, मैं वहीं कह रहा हूं। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को आग्रह किया था कि वे इसके लिए एक corpus का निर्माण करें और यह भी सुझाव दिया गया था कि कृषि उपज मंडियों से जो पैसा आता है, उसका कोई एक निश्चित सेस इकट्ठा कर के उसे ग्रामीण सड़कों के maintenance के लिए रखा जाए। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ राज्य उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने उस ओर अभी ध्यान नहीं दिया है। पिछले दिनों हम लोग सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठे थे, हमने उस समय भी उनसे आग्रह किया था कि PMGSY फेज-2 में अपग्रेडेशन पर भारत सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे रही है और आने वाले कल में हम 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने वाले हैं, लेकिन maintenance की दृष्टि से मैं राज्यों से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।

नीलगायों की हत्या

*4. **श्री मोती लाल वोराः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की अनुमति से बिहार में दो सौ नीलगायों की गोली मारकर हत्या की गई है;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जंगली जीवों से होने वाली असुविधा का समाधान केवल उनकी हत्या कर देना ही है;

(घ) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में चले आने वाले जंगली जीवों के बंध्याकरण और उन्हें पुनः जंगल में छोड़ने के संबंध में कोई नीति बनायेगी; और